न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

(1) **अपील डिक्री टी0ए0/2005/4861/चित्तौडगढ़**

1. सोराम पुत्र उद्दा जाट
2. कालू पुत्र उदा जाट
3. गुलाब पुत्र उदा जाट
4. नारायण पुत्र उदा जाट

निवासीगण नंगा खेडा, तहसील डूंगला, जिला चित्तौडगढ़।

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. रतनलाल पुत्र तेजा जाट निवासी नंगा खेडा, तहसील डूंगला, जिला चित्तौडगढ़।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार डूंगला जिला चित्तौडगढ़।

.....अप्रार्थी

(2) अपील डिक्री टी0ए0/2005/4418/चित्तौडगढ़

1. सोराम पुत्र उद्दा जाट
2. कालू पुत्र उदा जाट
3. गुलाब पुत्र उदा जाट
4. नारायण पुत्र उदा जाट

निवासीगण नंगा खेडा, तहसील डूंगला, जिला चित्तौडगढ़।

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. रतनलाल पुत्र तेजा जाट निवासी नंगा खेडा, तहसील डूंगला, जिला चित्तौडगढ़।
2. शंकर पुत्र भोला जाति जाट निवासी नंगा खेडा, तहसील डूंगला, जिला चित्तौडगढ़।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार डूंगला जिला चित्तौडगढ़।

.....अप्रार्थी

खण्डपीठ

श्री मोडूदान देथा, सदस्य

श्री रवि डांगी, सदस्य

उपस्थिति :–

1. श्री पूर्णा शंकर दशोरा अभिभाषक, प्रार्थी
2. श्रीमती पूनम माथूर, अतिरिक्त राजकीय अभिभाषक, अप्रार्थी
3. रेस्पोडेन्ट रतनलाल बावजूद सूचना उपस्थित नहीं

————

निर्णय

दिनांक : 06–03–2020

यह दोनों द्वितीय अपीलें राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 286 / 2004 व 285 / 2004 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26–7–2005 के विरूद्ध पेश की गई हैं।

2– दोनों प्रकणों में तथ्य, पक्षकार व विवादित बिन्दु समान होने के कारण इनका निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की एक–एक प्रति दोनों पत्रावलियों में संलग्न रखी जावे।

3– प्रकरण में तथ्य संक्षेप में निम्नानुसार है कि वादी रतनलाल ने उपखण्ड अधिकारी, बडी सादडी को वाद पत्र दावा घोषणा, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा तहत दफा 88, 53, 188 आरटीएक्ट के शीर्षक से प्रस्तुत कर कथन किया कि खाता संख्या 79 की कुल किता 8 कुल रकबा 10 बीघा 9 बिस्वा वाके मौजा नंगा खेडा में स्थित है उक्त आराजीयात तेजा एवं उदा की शामलाती खातेदारी की थी तथा दोनों का 1 / 2 हिस्सा प्रत्येक का था आपसी बंटवारे से दोनों अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। 10 बीघा 9 बिस्वा आराजी वादी के पिता ने रखी तथा खसरा नम्बर 1029 व 1320 की आराजी प्रतिवादी के पिता उदा ने रखी। जिसे 18.12.1969 तथा 06.01.1964 को क्रमशः कालू, कालू एवं नारायण ने शंकर को बय कर दी जिस पर शंकर काबिज है लेकिन गलती से प्रतिवादीगण का नाम अंकित है अतः वादी की घोषणा फरमाई जावे तथा निषेधाज्ञा जारी की जावे। यह वाद नं0 230 / 95 था।

4– प्रतिवादीगण ने जवाबदावा प्रस्तुत कर कथन किया कि आराजीयात तेजा व उदा की कब्जे काश्त की है बंटवारा नहीं हुआ है जिस बाबत वाद नं0 271 / 95 कर रखा है। आराजी 1029 व 1320

जायज रूप से बय की गई है इन्हें दिवानी अदालत से निरस्त कराये बिना कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है और बयशुदा का इन्तकाल नं0 62 दिनांक 18.12.1965 को प्रतिवादी संख्या 5 शंकर के हक में खुल चुका है। आराजीयात पर 1 / 2, 1 / 2 अनुसार काबिज चले आ रहे है मौके पर दोनों पक्ष काबिज हो काश्त करते चले आ रहे है दोनों की फसलें भी खडी है वादी अकेले की कोई फसल नहीं है। घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद खारिज करने का कथन किया। वादीगण सवराम पुत्र उदा ने अपने तीन अन्य भाईयों के साथ प्रतिवादी रतनलाल एवं राजस्थान सरकार अंकित कर दावा तहत दफा 53 राज. टिनेन्सी एक्ट कुल किता 8 रकबा 10 बीघा 9 बिस्वा के बारे में प्रस्तुत कर कथन किया कि बंटवारा कराया जाकर अलग–अलग कब्जा दिलाया जाकर राजस्व रिकार्ड में अलग–अलग इंद्राज फरमाया जावे यह वाद संख्या 271 / 95 था। प्रतिवादी रतनलाल ने इसका जवाब प्रस्तुत कर उक्त आराजी आपसी बंटवारा अनुसार अपने हिस्से में आना कथित करते हुए वाद खारिज करने का कथन किया। उपखण्ड अधिकारी ने दिनांक 11.03.97 को दोनों वादों को समेकित किया तथा मौखिक साक्ष्य ली और अपने निर्णय दिनांक 19.10.2014 द्वारा वाद संख्या 140 / 2002 (230 / 95) को खारिज योग्य मानते हुए वाद संख्या 271 / 95 को प्रारम्भिक डिक्री जारी की। जिससे व्यथित होकर रतनलाल ने उपखण्ड अधिकारी, चित्तौडगढ़ को अपील प्रस्तुत की जो अपील संख्या 286 / 2004 एवं 285 / 2004 को राजस्व अपील प्राधिकारी ने स्वीकार करने का आदेश दिया जिससे व्यथित होकर वर्तमान अपीलांट ने अपीलें प्रस्तुत की।

5– विद्वान वकुलाय की बहस सुनी।

6– अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने तनकीवार निर्णय देते हुए साक्ष्यों का विवेचन करते हुए उचित निर्णय दिया था जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय ने न्याय नियम एवं कार्यवाही मिसल के विरूद्ध निरस्त किया। आदेश 41 नियम 31 के प्रावधानों को नजरअंदाज कर रिकार्ड पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का विवेचन नहीं कर अपने में निहित क्षेत्राधिकार का गलत निर्णय किया है तनकीवार निर्णय नहीं किया है जो कि आज्ञापक था। जो अवधारित बिन्दु (Point for determetion) निर्मित किया है वह पूर्णतया एकपक्षीय रूप से

रतनलाल के वाद के आधार पर कर दिया। तनकी संख्या 1 विचारण न्यायालय ने वादी रतनलाल के विरूद्ध निर्णीत की थी जिस पर प्रथम अपीलीय न्यायालय ने कोई निर्णय प्रदान नहीं किया प्रदर्श 1 से यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि शामलाती है। प्रदर्श 2 में कुल किता रकबा 50 बीघा 5 बिस्वा भूमि वादी रेस्पोडेन्ट रतनलाल पुत्र तेजा व उदा पुत्र हेमा 1 / 2 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है।

7— इससे विदित होता है कि 40 बीघा भूमि का बेचान किया है जो कि वादी व प्रतिवादी ने किया परन्तु इसका कहीं स्पष्टीकरण वाद पत्र में नहीं आया है केवल मात्र 1320 व 1029 का ही अंकन किया है मौखिक साक्ष्य को नजरअंदाज किया है। दोनों पक्षों के गवाहों ने आधी–आधी कथित किया है। विक्रय के आधार पर शंकर के नाम नामान्तकरण हुआ जिसकी कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई है। रतनलाल का वाद संख्या 140 / 02 खारिज कर दिया तथा प्रतिवादी संख्या 1 का वाद संख्या 271 / 95 डिक्री कर दिया। अतः न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बडी सादडी का निर्णय यथावत रखते हुए न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी के अनुचित निर्णय को अपील अपीलांट स्वीकार कर खारिज किया जावे।

8— विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि पीडब्लयू 1 ऊंकार अपने बयानों में कहता है कि तेजा व उदा सगे भाई थे उन दोनों का विवादित जमीनों में आधा–आधा हिस्सा था यह मुख्य कथन हमारे वाद कथन को पुष्ट व रतनलाल के वाद का खण्डन करता है। यह गवाह जिरह में कहता है कि दोनों पक्षों के खातों में 9 बीघा जमीनें है इस जमीन का वादी का आधा तथा प्रतिवादी का आधा हिस्सा है। इस जमीन के पास मेरा खेत है 9 बीघा जमीन के आधे हिस्से पर वादी व आधे हिस्से पर प्रतिवादी खेती कर रहे है। यह कथन वादी रतनलाल के गवाह के है।

9— इसी अनुरूप पीडब्लयू 2 भवानीराम मुख्य बयान में कहता है कि शामलाती जमीनों में तेजा व उदा का आधा–आधा हक है कहता है आगे यही गवाह कहता है कि जो जमीनें बाकी रही उनमें कब्जा दोनों का है

इस जमीन के उत्तर में हमारी जमीन है। यह गवाह आगे जिरह में कहता है कि इन जमीनों से लगता हुआ मेरा खेत नहीं है दूर है पीडब्लयू 3 रतनलाल जिरह में कहता है कि भोलीराम व ऊंकार पड़ौसी है यह जिरह में कहता है पहले 50 बीघा जमीन थी जो कहा गई मालूम नहीं। वादी का वाद कथन स्पष्ट करता है कि वादी सारे तथ्यों का खुलासा लेकर नहीं आया है और चतुराई बरत रहा है।

10— डीडब्लयू 1 कालू यह कहता है कि उस बेचाननामें में रतन जी के हस्ताक्षर नहीं हुए तो पता नहीं सहमति थी। डीडब्लयू 2 देऊ अपने जिरह बयान में कहती है कि दावा वाली जमीन पांचों कमा रहे है। यह स्वतंत्र गवाह है। विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि स्वतंत्र गवाहों एवं वादी रतनलाल के बयान से यह स्पष्ट था कि रतनलाल का वाद खारिज करने योग्य व हमारा वाद स्वीकार करने योग्य था इन सब तथ्यों की अनदेखी कर प्रथम अपीलीय न्यायालय ने मनमाना निर्णय दिया है। बिकाऊ में दस्तखत करने हेतु भले ही एक भाई गया हो पर सहमति सभी की थी और प्रतिफल सभी ने लिया।

11— हम उदा के चार बेटे है और तेजा के एक बेटा है तो फिर तेजा 10 बीघा क्यों लेगा और उदा 5 बीघा क्यों लेगा। पूर्व में जो जमीने बिकी वो 40 बीघा थी और वह सब सहमति से बिकी। वादी रतनलाल ने उसकी स्थिति स्पष्ट नहीं कर छिपाव किया और ऐसा व्यक्ति जो स्वच्छ हाथों से और स्वच्छ मन से नहीं आया हो न्यायालय से दादरसी पाने का अधिकारी नहीं रहता है। वादी रतनलाल अपने निराधार वाद कथनों तथा चतुराई से अब द्वितय अपील में तामील होने के उपरांत भी नहीं आया है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट स्वीकार की जावे तथा प्रथम अपीलीय न्यायालय का निर्णय खारिज कर विचारण न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जावे।

12— अप्रार्थीगण की ओर से विद्वान अतिरिक्त राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि विधिनुसार निर्णय पारित किया जावे।

13— पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान वकुलाय के अभिकथनों पर विचार किया।

14— वादी रतनलाल ने अपने हिस्से में 10 बीघा 9 बिस्वा भूमि आना तथा प्रतिवादीगण के हिस्से में 5 बीघा 17 बिस्वा भूमि आना कथित कर वाद प्रस्तुत किया था और उसमें यह कथित किया था कि प्रतिवादीगण के हिस्से की जमीन कालू तथा कालू एवं नारायण ने बेच दी। उदा के चार पुत्र है शेष दो की सहमति या असहमति का कोई उल्लेख वादी ने नहीं किया और वादी के वाद कथन को हम मान ले तो उसने यह स्पष्ट नहीं किया कि किस पारिवारिक व्यवस्था के तहत उसे दुगुनी जमीन मिली।

15— कथन यह आया है कि विक्रय 1964 में हुआ और वादी ने वाद पत्र 1995 में पेश किया यह अवधि 30 वर्ष की है इस अवधि में वादी ने अभिलेख दुरूस्त क्यों नहीं करवाया जबकि कथन यह है कि शंकर के नाम नामान्तकरण होकर शंकर काबिज काश्त हो गया था तो यह तथ्य प्रकट तथ्य था तो उस स्थिति में वादी ने यह ख्याल क्यों नहीं किया कि जब प्रतिवादीगण ने अपनी जमीन बेच दी व क्रेता के हाथों में चली गई है तो उसने अपने हिस्से को तन्हा कराने की उस समय कोशिश क्यों नहीं की।

16— यह कथन आया है कि कुल भूमि 50 बीघा थी वादी ने केवल लगभग 16 बीघा का ही कथन प्रस्तुत किया है शेष का उल्लेख ही नहीं किया जो यह स्पष्ट करता है कि वादी सम्पूर्ण कथनों के साथ नहीं आया था और ऐसी स्थिति में वादी कोई दादरसी प्राप्त करने का मुश्तक नहीं था।

17— मौखिक साक्ष्य में पीडब्लयू 1, 2, 3 एवं डीडब्लयू 1, 2 के बयानों का अनुशीलन करने पर यह प्रकट होता है कि आराजी अभिलेख में संयुक्त रूप से दर्ज होने के साथ–साथ वादी एवं प्रतिवादी द्वारा आधी–आधी काश्त की जा रही है। यह मौखिक साक्ष्य अभिलेख के

इन्द्राज के अनुरूप है और जब इसे इस कथन के साथ देखे की कुल भूमि 50 बीघा थी और वादी केवल 16 बीघा का कथन लेकर आया है शेष 34 बीघा की स्थिति उसने स्पष्ट नहीं की जो वादी के वाद कथन को कमजोर और छिपाव वाले कथन के रूप में प्रकट करता है और इस तरह का वादी दादरसी हेतु मुश्तक नहीं रहता है।

18– विचारण न्यायालय ने सभी तथ्यों का विवेचन कर जो आदेश दिया था वह उचित था। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने इन सब तथ्यों की अनदेखी कर केवल 16 बीघा का विवेचन कर निर्णय दिया है उसमें भी इसका कोई तर्क सम्मत आधार अंकित नहीं किया है कि एकपक्ष 10 बीघा और दूसरा पक्ष 5 बीघा क्यों लेगा। ऐसी स्थिति में प्रथम अपीलीय न्यायालय का निर्णय वाद में प्रस्तुत अभिलेखीय एवं मौखिक साक्ष्य के विपरीत होने से खारिज करने योग्य है। विचारण न्यायालय का तनकीवार विवेचन किया हुआ निर्णय सही होने से यथावत रखा जाता है ऐसी स्थिति में दोनों अपीलें स्वीकार की जाकर वाद संख्या 140 / 2002 के निर्णय को यथावत रखा जाता है तथा वाद संख्या 271 / 95 को प्राथमिक डिक्री करने के निर्णय को यथावत रखा जाता है।

19– उपरोक्तानुसार अपीलांट की दोनों अपीलें स्वीकार की जाती है तथा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26–7–2005 निरस्त किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रवि डांगी)
सदस्य

(मोडू दान देथा)
सदस्य